

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
चमोली ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

अधिसूचना संख्या-1794/V-2/2017/05-(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय गोपेश्वर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चमोली, घाट व नन्दप्रयाग आच्छादित होगी।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय कर्णप्रयाग (मुख्यालय गौचर) जिसके अन्तर्गत तहसील कर्णप्रयाग, पोखरी, थराली, जिलासू, नारायणबगड़ एवं देवाल आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय जोशीमठ जिसके अन्तर्गत तहसील तहसील जोशीमठ का क्षेत्र आच्छादित होंगे।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय गैरसैण जिसके अन्तर्गत तहसील गैरसैण एवं आदिबद्री का क्षेत्र आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद चमोली के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या <sup>1893</sup> /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चमोली।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड फत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
चमोली ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

अधिसूचना संख्या-1794/V-2/2017/05-(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय गोपेश्वर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चमोली, घाट व नन्दप्रयाग आच्छादित होगी।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय कर्णप्रयाग (मुख्यालय गौचर) जिसके अन्तर्गत तहसील कर्णप्रयाग, पोखरी, थराली, जिलासू, नारायणबगड़ एवं देवाल आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय जोशीमठ जिसके अन्तर्गत तहसील तहसील जोशीमठ का क्षेत्र आच्छादित होंगे।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय गैरसैण जिसके अन्तर्गत तहसील गैरसैण एवं आदिबद्री का क्षेत्र आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद चमोली के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव


1893

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चमोली।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
रुद्रप्रयाग ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2015

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना-1796/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय रुद्रप्रयाग होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रुद्रप्रयाग एवं जखोली आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय ऊखीमठ होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील ऊखीमठ एवं बासुकेदार आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रुद्रप्रयाग।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
रुद्रप्रयाग ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2015

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना-1796/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय रुद्रप्रयाग होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रुद्रप्रयाग एवं जखोली आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय ऊखीमठ होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील ऊखीमठ एवं बासुकेदार आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

1894

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रुद्रप्रयाग।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
पौड़ी ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2015

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1798/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय पौड़ी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पौड़ी, श्रीनगर चौबट्टाखाल आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय कोटद्वार होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली, जाखणीधार एवं उप तहसील रिखणीखाल आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय थैलीसैण होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील थैलीसैण एवं चाकीसैण आच्छादित होंगे।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय यमकेश्वर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील यमकेश्वर आच्छादित होगा।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।


3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

1895

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौड़ी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड फत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

1895

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौड़ी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड फत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,



(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

0/C

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
उत्तरकाशी ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 1 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1800/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तरकाशी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील उत्तरकाशी, चिन्यालीसैण, डुण्डा व उप तहसील धौन्तरी आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय बड़कोट होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पुरोला, मौरी, भटवाड़ी तथा उप तहसील सांकरी व जोशियाड़ा आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1896 /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
उत्तरकाशी ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 1 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1800/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तरकाशी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील उत्तरकाशी, चिन्यालीसैण, डुण्डा व उप तहसील धौन्तरी आच्छादित होंगे।
  - (2) क्षेत्रीय कार्यालय बड़कोट होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पुरोला, मौरी, भटवाड़ी तथा उप तहसील सांकरी व जोशियाड़ा आच्छादित होंगे।
- 2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।
- 4- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।
- 5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,


( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1896 /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
टिहरी ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 1 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1802/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय नरेन्द्रनगर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील टिहरी, नरेन्द्रनगर काण्डीसौंड, नैनबाग, गजा, उप तहसील पावकी देवी व धनौली का आंशिक क्षेत्र जो दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित न हो, आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय देवप्रयाग होगा। जिसमें अन्तर्गत तहसील देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जाखणीधार, धनसाली व बालगंगा का क्षेत्र आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय प्रतापनगर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील प्रतापनगर उप तहसील मदननेगी का क्षेत्र आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद टिहरी के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्त उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय;

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या <sup>1897</sup> /V-2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, टिहरी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), टिहरी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
टिहरी ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 12 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1802/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय नरेन्द्रनगर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील टिहरी, नरेन्द्रनगर काण्डीसौंड, नैनबाग, गजा, उप तहसील पावकी देवी व धनौल्टी का आंशिक क्षेत्र जो दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित न हो, आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय देवप्रयाग होगा। जिसमें अन्तर्गत तहसील देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जाखणीधार, धनसाली व बालगंगा का क्षेत्र आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय प्रतापनगर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील प्रतापनगर उप तहसील मदननेगी का क्षेत्र आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद टिहरी के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्त उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1897 /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, टिहरी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), टिहरी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
पिथौरागढ़ ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक <sup>17</sup> नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1804/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय पिथौरागढ़ होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पिथौरागढ़ का क्षेत्र आच्छादित होगा।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय बैरीनाग होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील बैरीनाग, डीडिहाट, देवलथल, कनालीछीना, गणाई गंगोली, थल एवं गंगोलीहाट आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय मुन्स्यारी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील मुन्स्यारी, तेजम, धारचूला व बांगापानी आच्छादित होंगे।

2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।


3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

4- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

1898

संख्या /V-2/05(आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/ देहरादून/ टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/ नैनीताल/ गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/ एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
पिथौरागढ़ ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1804/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय पिथौरागढ़ होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पिथौरागढ़ का क्षेत्र आच्छादित होगा।
  - (2) क्षेत्रीय कार्यालय बैरीनाग होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील बैरीनाग, डीडीहाट, देवलथल, कनालीछीना, गणाई गंगोली, थल एवं गंगोलीहाट आच्छादित होंगे।
  - (3) क्षेत्रीय कार्यालय मुन्स्यारी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील मुन्स्यारी, तेजम, धारचूला व बांगापानी आच्छादित होंगे।
- 2- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 3- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।
- 4- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।
- 5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1898 /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड फत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
बागेश्वर ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1806/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय बागेश्वर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील बागेश्वर, काफलीगैर, दुगनाकुरी, गरूड़ एवं काण्डा तहसील आच्छादित होंगे।
  - (2) क्षेत्रीय कार्यालय कपकोट में अवस्थित होगा जिसके अन्तर्गत तहसील कपकोट एवं उप तहसील शामा आच्छादित होंगे।
- 2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।
- 3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 4- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।
- 5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।
- अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1897 / V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बागेश्वर।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,



(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
बागेश्वर ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1806/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय बागेश्वर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील बागेश्वर, काफलीगैर, दुगनाकुरी, गरुड़ एवं काण्डा तहसील आच्छादित होंगे।
  - (2) क्षेत्रीय कार्यालय कपकोट में अवस्थित होगा जिसके अन्तर्गत तहसील कपकोट एवं उप तहसील शामा आच्छादित होंगे।
- 2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।
- 3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
- 4- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।
- 5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्त उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।
- अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,


( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1899 /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बागेश्वर।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
चम्पावत ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1808/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय चम्पावत होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चम्पावत, पाटी, लोहाघाट, उप तहसील मंच, पुल्ला-गुमदेश व बाराकोट आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पूर्णागिरि एवं टनकपुर आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या 1950 / V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चम्पावत।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

→  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
चम्पावत ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1808/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय चम्पावत होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चम्पावत, पाटी, लोहाघाट, उप तहसील मंच, पुल्ला-गुमदेश व बाराकोट आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील पूर्णागिरि एवं टनकपुर आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1950 / V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चम्पावत।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,



(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
अल्मोड़ा ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1808/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील अल्मोड़ा, सोमेश्वर, जैती, भनौली, घौलीछीना, लमगढ़ा व उप तहसील ध्याड़ी आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय रानीखेत अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रानीखेत, सल्ट, भिकियासैण, स्याल्दे व उप तहसील मछोड़ आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय चौखुटिया होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया द्वाराहाट उपतहसील जालली व बग्वालीपोखर आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1901 / V-2 / 05(आ0) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोड़ा।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
अल्मोड़ा ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1808/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील अल्मोड़ा, सोमेश्वर, जैती, भनौली, घौलीछीना, लमगढ़ा व उप तहसील ध्याड़ी आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय रानीखेत अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रानीखेत, सल्ट, भिकियासैण, स्थाल्दे व उप तहसील मछोड़ आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय चौखुटिया होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया द्वाराहाट उपतहसील जालली व बग्वालीपोखर आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्ते उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या (१०) / V-2/05(आ०) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोड़ा।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,  
अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,  
उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
ऊधमसिंह नगर ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1816/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय रुद्रपुर में अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रुद्रपुर, किच्छा एवं गदरपुर आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर में स्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील काशीपुर बाजपुर एवं जसपुर आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय खटीमा होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील खटीमा एवं सितारगंज आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

भवदीय,

  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या <sup>1902</sup> /V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ऊधमसिंह नगर।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,  
अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,  
उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
ऊधमसिंह नगर ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक <sup>17</sup> नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1816/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय रुद्रपुर में अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रुद्रपुर, किच्छा एवं गदरपुर आच्छादित होंगे।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर में स्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील काशीपुर बाजपुर एवं जसपुर आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय खटीमा होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील खटीमा एवं सितारगंज आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

भवदीय,


( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1902/V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ऊधमसिंह नगर।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
नैनीताल ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1813/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय भीमताल होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील नैनीताल आच्छादित होगा।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय गरमपानी में अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील धारी, ओखलकाण्डा, बेतालघाट एवं कोस्या-कुटोली आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रामनगर एवं कालाढूंगी आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर कार्यरत कार्मिक अधिसूचना निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-11-2017 से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के उक्त पदों पर स्वतः ही यथावत् समायोजित/कार्यरत् समझे जायेंगे।

6- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर जनपद के पर्वतीय भू-भाग में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हों) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्त उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,  
( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1903 / V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
नैनीताल ।

आवास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1813/V-2/2017/05(आ0)/2017 दिनांक 13-11-2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का प्रशासनिक संगठन निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय भीमताल होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील नैनीताल आच्छादित होगा।
- (2) क्षेत्रीय कार्यालय गरमपानी में अवस्थित होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील धारी, ओखलकाण्डा, बेतालघाट एवं कोस्या-कुटोली आच्छादित होंगे।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी होगा। जिसके अन्तर्गत तहसील रामनगर एवं कालाढूंगी आच्छादित होंगे।

2- उक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा।

3- जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के बोर्ड के गठन के संबंध में पृथक से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

4- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

5- नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर कार्यरत कार्मिक अधिसूचना निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-11-2017 से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के उक्त पदों पर स्वतः ही यथावत् समायोजित/कार्यरत समझे जायेंगे।

6- अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में स्थापित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर जनपद के पर्वतीय भू-भाग में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनो ओर 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्गमीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30 वर्गमीटर तक जो स्वयं द्वारा संचालित हो) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी, बशर्त उक्त निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्प रोधी हो।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव

संख्या 1903/V-2/05(आ0)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

  
(प्रेम सिंह राणा)  
अनु सचिव।